

न्यायालय :- श्रीमती मीना शाह, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, आमला
जिला बैतूल

दांडिक प्रकरण क :- 641 / 13

संस्थापन दिनांक:-31 / 12 / 13

फाईलिंग नं. 233504001182013

मध्यप्रदेश राज्य
द्वारा आरक्षी केन्द्र आमला,
जिला-बैतूल (म.प्र.)

..... **अभियोजन**

वि रू द्ध

1. तरुण पिता कलीराम छिपा, उम्र 40 वर्ष,
निवासी कसारी मोहल्ला राम मंदिर के पास आमला
थाना आमला, जिला बैतूल (म.प्र.)
2. जितेंद्र पिता मोहकचंद जैन, उम्र 55 वर्ष
निवासी चौरई, थाना चौरई,
जिला छिन्दवाड़ा (म.प्र.)

.....**अभियुक्तगण**

:- (नि र्ण य) :-

(आज दिनांक 16.03.2018 को घोषित)

1 प्रकरण में अभियुक्त तरुण के विरुद्ध धारा 304(ए) भा0दं0सं0 एवं मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196, 130(2)/177, 130(3)/177 के अंतर्गत इस आशय के आरोप है कि उसने दिनांक 17.12.2013 को समय 03:25 बजे रिलायंस पेट्रोल पम्प के सामने ग्राम काजली थाना आमला जिला बैतूल के अंतर्गत वाहन 407 मेटाडोर क. एमपी-48-जी-0298 को उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से चलाकर लक्ष्मण को टक्कर मार दी जिससे लक्ष्मण की मृत्यु कारित हुई जो कि अपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती एवं उक्त वाहन को बिना लायसेंस, बिना बीमा के चलाया एवं मौके पर लायसेंस, वाहन का रजिस्ट्रेशन, फिटनेश पेश नहीं किया तथा अभियुक्त जितेंद्र के विरुद्ध मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 के अंतर्गत इस आशय का आरोप है कि उसने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर वाहन 407 मेटाडोर क. एमपी-48-जी-0298 का मालिक होते हुए उसे बिना लायसेंस के व्यक्ति को चलाने को दिया।

2 अभियोजन का प्रकरण इस प्रकार है कि दिनांक 24.12.2013 को जिला चिकित्सालय बैतूल से सूचना प्राप्त होने पर थाना आमला में मर्ग क. 88/2013 इस आशय का दर्ज किया गया कि मृतक लक्ष्मण को सड़क दुर्घटना से चोट आने के कारण सीएचसी आमला से रिफर करने पश्चात बैतूल में दिनांक

16.12.2013 को भर्ती किया गया था। जिसकी दिनांक 17.12.2013 को मृत्यु हो गयी। उक्त मर्ग जांच उपरांत मेटाडोर चालक तरुण के द्वारा मेटाडोर को तेज व लापरवाहीपूर्वक चलाकर ठोस कारने से आयी चोट के कारण मृत्यु होना पाये जाने पर थाना आमला में अभियुक्त के विरुद्ध अपराध क्र. 497/13 धारा 304-ए भा.दं.सं. में प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध कर विवेचना की गयी। विवेचना के दौरान मौका नक्शा बनाया गया। मृतक के शव का पोस्ट मार्टम करवाया गया। साक्षियों के कथन लेखबद्ध किये गये। अभियुक्त से एक 407 मेटाडोर क्र. एमपी-48-जी-0298 जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया गया। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया गया। विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3 अभियुक्तगण द्वारा निर्णय की कंडिका क्रं-1 में उल्लेखित अपराध किया जाना अस्वीकार कर विचारण चाहा गया तथा धारा 313 द.प्र.सं. के अंतर्गत किये गये अभियुक्त परीक्षण में उनका कहना है कि वे निर्दोष हैं और उन्हें झूठा फंसाया गया है।

4 न्यायालय के समक्ष निम्न विचारणीय प्रश्न यह है :-

1. क्या अभियुक्त तरुण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर वाहन 407 मेटाडोर क्र. एमपी-48-जी-0298 को उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से चलाकर लक्ष्मण को टक्कर मार दी जिससे लक्ष्मण की मृत्यु कारित हुई जो कि अपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती ?
2. क्या अभियुक्त तरुण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर वाहन 407 मेटाडोर क्र. एमपी-48-जी-0298 को बिना लायसेंस, बिना बीमा के चलाया एवं मौके पर लायसेंस, वाहन का रजिस्ट्रेशन, फिटनेस पेश नहीं किया ?
3. क्या अभियुक्त जितेंद्र ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर वाहन 407 मेटाडोर क्र. एमपी-48-जी-0298 का मालिक होते हुए उसे बिना लायसेंस के व्यक्ति को चलाने को दिया ?
4. निष्कर्ष एवं दंडादेश, यदि कोई हो तो ?

।। विश्लेषण एवं निष्कर्ष के आधार ।।

विचारणीय प्रश्न क. 01, 02 एवं 03 का सकारण निष्कर्ष

5 उपर्युक्त तीनों विचारणीय प्रश्न साक्ष्य के एक ही अनुक्रम से संबंधित होने से साक्ष्य दोहराव से बचने की दृष्टि से दोनों विचारणीय प्रश्नों का

निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

6 शंकर (अ.सा.-1) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि वाहन क्र. 407 को अभियुक्त तरुण तेजी से चलाकर लाया, लक्ष्मण को टक्कर मार दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया जिसकी ईलाज के दौरान दूसरे दिन मृत्यु हो गयी। हेमराज (अ.सा.-8) ने बताया है कि 407 मेटाडोर से बुजुर्ग व्यक्ति को टक्कर लग गयी थी जिससे उसके पैर में चोट आ गयी थी। बाद में पता चला था कि उस बुजुर्ग व्यक्ति की मृत्यु हो गयी थी। सुभाष (अ.सा.-2) ने मुख्य परीक्षण में यह बताया है कि उसे फोन पर सूचना मिली कि उसके पिता का एक्सीडेंट हो गया है। जब वह सरकारी अस्पताल पहुंचा तब उसने देखा कि पिता के पैरों में चोट थी। नरसिंह (अ.सा.-3) एवं कलाबाई (अ.सा.-4) ने यह बताया है कि उन्हें यह सूचना मिली कि 407 मेटाडोर का एक्सीडेंट हो गया है। जब वे अस्पताल पहुंचे तो देखा कि लक्ष्मण का पैर फेक्चर था और रात में ईलाज के दौरान उसकी मृत्यु हो गयी थी।

7 डॉ. रविकांत उइके (अ.सा.-7) ने अपने न्यायालयीन परीक्षण में दिनांक 17.12.13 को जिला चिकित्सालय बैतूल में मेडिकल आफिसर के पद पर पदस्थ रहते हुए उक्त दिनांक को मृतक लक्ष्मण उर्फ नींबा का शव परीक्षण किये जाने पर मृतक के बाह्य परीक्षण में मृतक के दोनों पैरों पर फटा हुआ घाव जिससे टूटी हुई हड्डी बाहर निकली थी जिससे खून बह रहा था तथा मृतक के आंतरिक परीक्षण में दोनों पैरों की टिबीयाबोन फेक्चर थी एवं खून बह रहा था, मृतक का दीमाग, दोनों फेफड़े बेल थे एवं मृतक के हृदय के दाहिने चेंबर में खून था और बाया चेंबर खाली था पेट में खाद्य पदार्थ था, छोटी आंतों में अधपचा खाना एवं बड़ी आंत में मल पाया था। साक्षी ने मृतक की मृत्यु हेमरेजिक शॉक से जो कि घाव के अत्यधिक रक्त स्राव से होना तथा शव परीक्षण के छह: घंटे के भीतर होना प्रकट करते हुए उसके द्वारा दी गयी शव परीक्षण रिपोर्ट (प्रदर्श पी-10) को प्रमाणित किया है। उपर्युक्त साक्षी तथा साक्षी शंकर, सुभाष, नरसिंह, कलाबाई, हेमराज के कथनों से दुर्घटना में मृतक लक्ष्मण की मृत्यु होना प्रमाणित पाया जाता है।

8 बिसनसिंह (अ.सा.-5) ने दिनांक 25.12.13 को थाना आमला में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ रहते हुए मेन हास्पिटल से मार्ग क्र. 0/13 की मार्ग डायरी प्राप्त होने पर थाने में अपराध क्र. 497/13 में प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श पी-5) एवं मार्ग क्र. 88/13 में (प्रदर्श पी-6) का मार्ग इंटीमेशन दर्ज किया किया जाना एवं डायरी अग्रिम विवेचना हेतु प्राप्त होने पर दिनांक 25.12.13 को घटना स्थल जाकर मौका नक्शा (प्रदर्श पी-4) तथा दिनांक 29.12.2013 को अभियुक्त से गवाहों के समक्ष एक 407 मेटाडोर क्र. एमपी-48-जी-0298 मय दस्तावेज के जप्त कर प्रदर्श पी-7 एवं प्रदर्श पी-8 का जप्ती पत्रक तथा

अभियुक्त को गिरफ्तार कर (प्रदर्श पी-9) का गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया जाना प्रकट करते हुए उपर्युक्त दस्तावेजों को प्रमाणित किया है। साक्षी ने यह भी प्रकट किया है कि उसने वाहन स्वामी द्वारा इंश्योरेंस एवं कागजात की कमी पाये जाने पर उसने अभियोग पत्र में मोटर यान अधिनियम की धारा 5/180, 3/181, 146/196, 130/177-2, 130/177-3 का ईजाफा किया था।

9 प्रकरण में साक्षी शंकर (अ.सा.-1) ने यह बताया है कि घटना के समय अभियुक्त तरुण 407 मेटाडोर को चला रहा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि घटना के समय गाड़ी अभियुक्त नहीं चला रहा था। स्वतः कहा गाड़ी अभियुक्त तरुण ही चला रहा था। इस सुझाव को भी गलत बताया है कि वह घटना स्थल पर मौजूद नहीं था, उसने घटना नहीं देखी थी। हेमराज (अ.सा.-8) ने बताया है कि वह मेटाडोर में बैठकर बोरदेही की ओर जा रहा था। उस मेटाडोर को अभियुक्त तरुण चला रहा था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी अपने उपर्युक्त कथन पर पूर्णतः अखंडित है। इस संबंध में कोई विशेष चुनौती भी साक्षी को नहीं दी गयी है। प्रकरण में साक्षी शंकर एवं हेमराज घटना के समय अभियुक्त तरुण के द्वारा वाहन चलाये जाने के तथ्य पर पूर्णतः अखंडित है। साथ ही बचाव पक्ष का यह भी बचाव नहीं है कि घटना के दिन वाहन अभियुक्त के द्वारा नहीं चलाया जा रहा था। अतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि घटना के समय वाहन 407 मेटाडोर को अभियुक्त तरुण ही चला रहा था।

10 प्रकरण में यह देखा जाना है कि क्या अभियुक्त तरुण के द्वारा वाहन मेटाडोर उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाया गया था। इस संबंध में बचाव अधिवक्ता का तर्क है कि अभियोजन यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त ने वाहन उपेक्षा या उतावलेपन से चलाया। जबकि अभियोजन अधिकारी ने अभियोजन का मामला युक्तियुक्त संदेह से परे स्थापित होने का तर्क प्रकट किया है।

11 बचाव अधिवक्ता के तर्क के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण में साक्षी सुभाष (अ.सा.-2), नरसिंह (अ.सा.-3), कलाबाई (अ.सा.-4) ने सूचना मिलने पर चिकित्सालय जाना बताया है। उपर्युक्त साक्षीगण ने अपने प्रतिपरीक्षण में यह बताया है कि उन्होंने घटना घटित होते नहीं देखी थी। इस प्रकार उपर्युक्त साक्षीगण की साक्ष्य से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि घटना के समय अभियुक्त वाहन को किस तरह से चला रहा था और दुर्घटना कैसे घटित हुई थी।

12 प्रकरण में महत्वपूर्ण चक्षुदर्शी साक्षी शंकर तथा हेमराज है। अभियुक्त द्वारा वाहन उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाये जाने के संबंध में शंकर (अ.सा.-1) ने यह बताया है कि घटना के समय लक्ष्मण पैदल रोड से जा रहा था। अभियुक्त तरुण ने वाहन मेटाडोर से लक्ष्मण को टक्कर मार दी। टक्कर लगने

से लक्ष्मण के दोनों पैरों के उपर से गाड़ी का टायर चला गया था। साक्षी ने यह बताया है कि उसने सामने खड़े होकर गाड़ी को रोक तब देखा कि अभियुक्त तरुण चला रहा था। इसके बाद तरुण की गाड़ी में ही लक्ष्मण को रखवाया और अस्पताल लेकर आये। ड्रायवर तरुण की गलती से घटना हुई थी। अभियोजन अधिकारी द्वारा प्रतिपरीक्षण में पूछे जाने वाले प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह बताया है कि जिस वाहन से दुर्घटना हुई उसका नंबर एमपी-48-जी-0298 था। इस सुझाव को भी सही बताया है कि अभियुक्त ने वाहन को तेजी और लापरवाही से चलाकर टक्कर मारी थी। हेमराज (अ.सा.-8) ने यह बताया है कि वह घटना के समय मेटाडोर में बैठकर बोरदेही की ओर जा रहा था जिसे अभियुक्त तरुण चला रहा था। अभियुक्त वाहन को लापरवाही से चला रहा था। ग्राम काजली के मोड़ पर एक बुजुर्ग व्यक्ति को टक्कर मार दी थी जिससे उसके पैर में चोट आ गयी थी। इसके बाद उसने मेटाडोर में ही आहत को बैठाकर अस्पताल लेकर आया।

13 प्रतिपरीक्षण में साक्षी शंकर (अ.सा.-1) ने यह बताया है कि गाड़ी का वाहन मालिक कौन है उसे इस बात की जानकारी नहीं है। उसने पुलिस को यह बता दिया था कि अभियुक्त तरुण ने आहत के पैर पर गाड़ी चढ़ा दी थी और एक्सीडेंट किया था। उसने वाहन चालक का नाम नहीं बताया था। स्वतः में कहा कि बाद में पता चला था। उसने पुलिस को गाड़ी का नंबर बताया था या नहीं यह उसे ध्यान नहीं है। स्वतः में कहा कि तेजी और लापरवाही से चलाना बताया था। इस सुझाव को सही बताया है कि घटना के समय वह मोटर सायकिल से आमला की ओर आ रहा था और मेटाडोर चालक भी साईड से जा रहा था। प्रतिपरीक्षण के पैरा क. 07 में साक्षी ने इस सुझाव को गलत बताया है कि उसने पुलिस को यह बताया था कि घटना के समय अभियुक्त के वाहन से मृतक टकरा गया था, उसने जमीन पर गिरा हुआ देखा था। स्वतः कहा कि उसने पुलिस को स्पष्ट रूप से यह बताया था कि उसके सामने टक्कर हुई है। इस सुझाव को भी गलत बताया है कि घटना के समय वाहन अभियुक्त नहीं चला रहा था। इस सुझाव को भी सही बताया है कि दिनांक 17.12.2013 से 25.12.2013 तक पुलिस को कोई जानकारी नहीं दी कि अभियुक्त ने दुर्घटना कारित की है। स्वतः कहा जब उससे पूछा तब उसने बता दिया था। पुनः से इस सुझाव को गलत बताया है कि घटना स्थल पर वह मौजूद नहीं था, उसने घटना नहीं देखी थी।

14 हेमराज (अ.सा.-8) ने प्रतिपरीक्षण में इस सुझाव को सही बताया है कि अभियुक्त तरुण ने आहत को जानबूझकर टक्कर नहीं मारी थी। स्वतः कहा पैदल चल रहा व्यक्ति अपनी साईड से चल रहा था। इस सुझाव को सही बताया है कि वह मृतक के लड़के के कहने पर बयान देने के लिए आया है परंतु इस सुझाव को गलत बताया है कि मृतक के लड़के ने जैसा बताया था वह वैसा

ही बता रहा है। स्वतः जो हकीकत है वही बता रहा है। इस सुझाव को भी गलत बताया है कि आहत काफी उम्रदराज था। अचानक गाड़ी आने से घबराकर नीचे गिर जाने से उसकी मृत्यु हो गयी थी।

15 प्रकरण में साक्षी शंकर (अ.सा.-1) एवं हेमराज (अ.सा.-8) ने अभियुक्त तरुण के द्वारा वाहन मेटाडोर को तेज गति एवं लापरवाही से चलाया जाना बताया है। घटना के समय आहत/मृतक रोड के साईड में अपनी दिशा की तरफ चल रहा था। ऐसी भी कोई परिस्थितियां नहीं है कि मृतक ने अचानक से रोड कास की हो। ऐसी भी कोई परिस्थिति नहीं है कि मेटाडोर वाहन के सामने या पीछे कोई वाहन हो या वाहन में यांत्रिकी खराबी हो। ऐसी परिस्थितियों में अभियुक्त के द्वारा रोड के साईड में पैदल चल रहे एक वृद्ध व्यक्ति को पीछे से टक्कर मारा जाना यह प्रकट करता है कि अभियुक्त ने घटना के समय वाहन को चलाते समय उतनी सावधानी नहीं बरती, जितनी की उसे बरतनी चाहिए थी। ना ही अपने वाहन पर नियंत्रण रख पाया, जो कि चालक के नाते उसके कर्तव्यों के प्रति बरती गई उपेक्षा को प्रकट करता है।

16 मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में जहां यह प्रमाणित है कि अभियुक्त ही घटना दिनांक को वाहन 407 मेटाडोर क. एमपी-48-जी-0298 को चला रहा था तथा वाहन से पैदल चल रहे वृद्ध व्यक्ति को टक्कर मार दी थी जिससे उसकी ईलाज के दौरान मृत्यु हो गयी, तब ऐसी परिस्थितियों में अभियुक्त के द्वारा वाहन तेज रफ्तार एवं उपेक्षा से चलाये जाने के अतिरिक्त कोई भी उपधारणा नहीं की जा सकती। अतः यह प्रमाणित पाया जाता है कि अभियुक्त तरुण के द्वारा घटना के समय वाहन 407 मेटाडोर क. एमपी-48-जी-0298 को उपेक्षा एवं उतावलेपन से चलाकर मृतक लक्ष्मण को टक्कर मारकर उसकी ऐसी मृत्यु कारित की जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती।

17 प्रकरण में ऐसी कोई भी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है जिससे कि यह प्रकट हो कि घटना दिनांक को अभियुक्त के द्वारा वाहन बिना लायसेंस, बीमा एवं रजिस्ट्रेशन के चलाया गया था एवं मांगे जाने पर मौके पर दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये गये थे। प्रकरण में विवेचक साक्षी बिसनसिंह (अ.सा.-5) ने भी इस संबंध में न्यायालय में कोई कथन नहीं किये है कि घटना के समय अभियुक्त वाहन को बिना दस्तावेजों के चला रहा था। घटना दिनांक 17.12.2013 की है। जबकि अभियुक्त से वाहन की जप्ती दिनांक 29.12.2013 को लगभग 10-12 दिनों पश्चात की गयी है। ऐसी स्थिति में निश्चायक रूप से नहीं कहा जा सकता कि घटना के समय अभियुक्त बिना दस्तावेजों के वाहन को चला रहा था। उपर्युक्त परिस्थितियों में यह भी निश्चायक रूप से नहीं कहा जा सकता कि अभियुक्त जितेंद्र के द्वारा वाहन का मालिक होकर बिना लायसेंस धारक

अभियुक्त तरुण को वाहन चलाने के लिए दिया गया।

विचारणीय प्रश्न क. 04 का निराकरण

18 उपर्युक्तानुसार की गयी साक्ष्य विवेचना से अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि अभियुक्त तरुण ने घटना दिनांक समय व स्थान पर वाहन 407 मेटाडोर क. एमपी-48-जी-0298 को बिना लायसेंस, बिना बीमा के चलाया एवं मौके पर लायसेंस, वाहन का रजिस्ट्रेशन, फिटनेस पेश नहीं किया तथा अभियुक्त जितेंद्र ने उक्त वाहन बिना लायसेंस धारी तरुण को चलाने को दिया किंतु अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि अभियुक्त तरुण ने घटना दिनांक, समय व स्थान पर वाहन 407 मेटाडोर क. एमपी-48-जी-0298 को उपेक्षापूर्वक व उतावलेपन से चलाकर लक्ष्मण को टक्कर मार दी जिससे लक्ष्मण की मृत्यु कारित हुई जो कि अपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती। निष्कर्षतः अभियुक्त तरुण को मोटरयान अधिनियम की धारा 3/181, 146/196, 130(2)/177, 130(3)/177 एवं अभियुक्त जितेंद्र को मोटरयान अधिनियम की धारा 5/180 के आरोप से दोषमुक्त किया जाता है तथा अभियुक्त तरुण को भारतीय दंड संहिता की धारा 304(ए) के आरोप में दोषी पाया जाता है।

19 अभियुक्त की ओर से पूर्व में प्रस्तुत जमानत मुचलके निरस्त किये जाते हैं।

नोट:- दण्ड के प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय थोड़ी देर के लिए स्थगित किया जाता है।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

पुनश्च :-

20 दण्ड के प्रश्न पर अभियुक्त के बचाव अधिवक्ता एवं विद्वान ए 0डी0पी0ओ0 के तर्क श्रवण किए गए। बचाव अधिवक्ता का यह कहना है कि यह अभियुक्त का प्रथम अपराध है। उसके विरुद्ध कोई पूर्व दोषसिद्ध अभिलेख पर नहीं है। अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ प्रदान किया जाए अथवा कम से कम दंड से दंडित किया जाये। जबकि विद्वान ए.डी.पी.ओ. का कहना है कि अभियुक्त के विरुद्ध वाहन को उपेक्षापूर्वक चलाकर एक्सीडेंट कारित किया जाना जिसके परिणामस्वरूप मृतक लक्ष्मण की मृत्यु होना प्रमाणित हुआ है। अतः उसे अधिकतम कठोर कारावास से दण्डित किये जाने का तर्क प्रस्तुत किया गया।

21 उभयपक्ष के तर्क को विचार में लिया गया। अभियुक्त द्वारा वाहन 407 मेटाडोर क. एमपी-48-जी-0298 को उपेक्षापूर्वक संचालित कर मृतक लक्ष्मण को टक्कर मारकर उसकी मृत्यु कारित करने का अपराध कारित किया गया है। अपराध कारित करते समय अभियुक्त अपने कृत्य की प्रकृति व उसके संभावित परिणाम को समझने में भली-भांति सक्षम था, अतः उसे परिवीक्षा विधि का लाभ दिया जाना न्याय-संगत नहीं है।

22 अभियुक्त के विरुद्ध पूर्व की कोई दोषसिद्धी भी अभिलेख पर नहीं है। अभियुक्त के विरुद्ध धारा 304(ए) भा0दं0सं0 का अपराध कारित किया जाना प्रमाणित पाया गया है। अभियुक्त तरुण को भारतीय दंड संहिता की धारा 304(ए) के अंतर्गत दंडनीय अपराध के लिए **दो वर्ष के सश्रम कारावास** तथा 500/- रु. के अर्थदंड से दंडित किया जाता है। अर्थदंड अदा करने में व्यतिक्रम की दशा में अभियुक्त को एक माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगताया जावे।

23 अभियुक्त को अभिरक्षा में लिया जाये एवं उसका सजा वारंट तैयार किया जाये। प्रकरण में अन्वेषण एवं विचारण के दौरान अभियुक्त द्वारा अभिरक्षा में बिताई गई अवधि को कारावास की मूल अवधि में समायोजित किया जाकर शेष कारावास की सजा भुगताये जाने हेतु अभियुक्त को उप जेल मुलताई भेजा जावे एवं इस संबंध में धारा 428 द.प्र.स. के अंतर्गत प्रमाण पत्र बनाया जावे।

24 प्रकरण में जप्तशुदा 407 मेटाडोर क. एमपी-48-जी-0298 आवेदक/सुपुर्ददार कलीराम पिता उदयलाल सेठिया, निवासी कैलाश नगर छिन्दवाड़ा हाल निवासी कसारी मोहल्ला आमला जिला बैतूल को अस्थायी सुपुर्दनामे पर प्रदान की गयी है। अपील अवधि पश्चात उक्त सुपुर्दनामा भारहीन हो। अपील होने की दशा में अपीलीय माननीय न्यायालय के निर्देशानुसार व्ययन की जावे।

25 दं0प्र0सं0 की धारा 363(1) के अंतर्गत अभियुक्त को निर्णय की एक प्रतिलिपि निःशुल्क प्रदान की जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित
तथा दिनांकित कर घोषित ।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित ।

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)

(श्रीमती मीना शाह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
आमला, बैतूल (म.प्र.)